न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 30 / 2016

1 श्रीमती गीता गुर्जर पत्नी कुशाल सिंह जाति गुर्जर निवासी बणियाला पोस्ट महवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल आबाद गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.06.2016 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा
गीता देवी बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र बाबत
वाजदायरी मु.नं. 331 / 2015

उपस्थिति :

1. श्री मनोज वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 24/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 331/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा दावा संख्या 71/2012 प्रस्तुत किया गया था। इस वाद को विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.12.2012 को निर्णित कर दिया। इस निर्णय के विरूद्व विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.06.2013 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.06.2013 को आदेश 09 नियम 13 का आवेदन स्वीकार कर निर्णय दिनांक 27.12.2012 को निरस्त कर दिया एवं मूलवाद को पुनः सुनवाई हेतु दर्ज कर लिया। दिनांक 07.07.2015 को विचारण न्यायालय ने यह वाद नोटप्रेस में खारिज कर दिया। इसके विरूद्व अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में वाजदायरी आवेदन संख्या 331/2015 प्रस्तुत किया। जो दिनांक 01.06.2016 से खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि विचारण न्यायालय में गत तारीख पेशी दिनांक 26.05.2016 नियत थीत था दिनांक 25.05.2016 को आगामी तारीख पेशी 09.06.2016 नियत की गयी थी। लेकिन अपीलान्ट को बिना किसी सुचना व बिना सुनवाई का मौका दिया विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.06.2016 के स्थान पर दिनांक 01.06. 2016 को अपीलान्ट को बिना सुने व बिना सूचना दिये ही तारीख से पहले ही निर्णय पारित कर दिया। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.06.2016 काबिले खारिज है। विचारण को तारीख पेशी दिनांक 01.06. 2016 के बारे में अपीलान्ट को सूचना देनी चाहिए थीत था अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं होने के कारण काबिले निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय निर्णय की जानकारी अपीलान्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को दिनांक 20.09.2016 के हुई इससे पूर्व प्रार्थीया अपीलान्ट को उक्त निर्णय के बारे में जानकारी नहीं थी। जिस पर दिनांक 21.09.2016 को नकल का आवेदन किया। जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 23.09.2016 को मिली। जिसके बाद अपना वकील नियुक्त कर यह अपील पेश की जा रही है जो जानकारी के रोज से अन्दर मियाद पेश है किसी कारण से अन्दर मियाद नहीं मानी जाती है तो अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा दावा संख्या 71/2012 प्रस्तुत किया गया था। इस वाद को विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.12.2012 को निर्णित कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.06.2013 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.06.2013 को आदेश 09 नियम 13 का आवेदन स्वीकार कर निर्णय दिनांक 27.12.2012 को निरस्त कर दिया एवं मूलवाद को पुनः सुनवाई हेतु दर्ज कर लिया। दिनांक 07.07.2015 को विचारण न्यायालय ने यह वाद नोटप्रेस में खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में वाजदायरी आवेदन संख्या 331/2015 प्रस्तुत किया। जो दिनांक 01.06.2016 से खारिज किया गया है। नोटप्रेस में खारिज वाद की पुर्नस्थापना वाजदायरी से नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने इस आधार पर वाजदायरी आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। वाजदायरी आवेदन खारिज होने के भी 10 माह बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा दावा संख्या 71/2012 प्रस्तुत किया गया था। इस वाद को विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.12.2012 को निर्णित कर दिया।

इस निर्णय के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.06.2013 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.06.2013 को आदेश 09 नियम 13 का आवेदन स्वीकार कर निर्णय दिनांक 27.12.2012 को निरस्त कर दिया एवं मूलवाद को पुनः सुनवाई हेतु दर्ज कर लिया। दिनांक 07.07.2015 को विचारण न्यायालय ने यह वाद नोटप्रेस में खारिज कर दिया।

इसके विरूद्ध अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में वाजदायरी आवेदन संख्या 331/2015 प्रस्तुत किया। जो दिनांक 01.06.2016 से खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के वाद संख्या 71/2012 की आदेशिका दिनांक 07.07.2015 में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर अंकित है कि श्रीमान प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते है। आदेशिका पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है।

विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी प्रकरण नोटप्रेस में केवल अधिवक्ता के हस्ताक्षर/सहमति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। नोटप्रेस में खारिज करने के लिए पक्षकार के सहमति के हस्ताक्षर होना आज्ञापक है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के आदेशिका पर नोटप्रेस में प्रकरण खारिज करने के सहमति के हस्ताक्षर नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के वाद संख्या 71/2012 की आदेशिका के अनुसार दिनांक 10.06.2015 को दिनांक 25.08.2015 आगामी तिथि नियत की गई है। नियत तिथि से पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आवेदन के पत्रावली को पेशी में लिया जाकर दिनांक 07.07.2015 को नोटप्रेस में प्रकरण खारिज किया गया है।

विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 07.07.215 के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.10.2015 को अपीलान्ट द्वारा वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने दावा संख्या 71/2012 की आदेशिका का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाजदायरी आवेदन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 71/2012 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 एवं वाजदायरी आवेदन संख्या 331/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2016 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दावा संख्या 71/2012 को पुनः दर्ज कर नम्बर पर लेकर विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर